न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 271/2019

वादी :– मोतीलाल पुत्र श्री रामकरण, जाति जाट, निवासी हिरणखुरी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेड़ता।
2. हल्का पटवारी, भूरियासनी।
3. हल्का पटवारी बड़गांव।

दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 89

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 18/12/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्रीराम व्यास ने दावा रेकर्ड दुरूस्ती का का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बासनी कच्छावा, पटवार हल्का बड़गांव, भू. अभिलेख निरीक्षक बड़गांव, तहसील मेड़ता, जिला नागौर की सरहद में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 107 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 रकबा 2.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 109 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110 रकबा 1.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 111/476 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल रकबा 4.96 हैक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद आयी हुई है। वर्तमान जमाबंदी की नकल साथ में पेश है। ग्राम हिरणखुरी, पटवार हल्का भूरियासनी, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़गांव तहसील मेड़ता, जिला नागौर की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 182 रकबा 1.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 2.16 हैक्टेयर कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद आयी हुई है। वर्तमान जमाबंदी की नकल साथ में पेश है। उक्त पैरा संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयान में वादी का नाम मोतीराम पुत्र श्री रामकरण दर्ज है जबकि वादी का

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

वास्तविक व सही नाम मोतीराम पुत्र श्री रामकरण है जो वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजात में दर्ज है। वादी नौकरी पेशा व्यक्ति है तथा वादी ने कभी अपना राजस्व रेकर्ड देखने की जरूरत नही हुई। हाल में जब वादी को अपने राजस्व रेकर्ड के बारे में हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी भूमि की जमाबंदी प्राप्त की तब सर्वप्रथम वादी को ज्ञात हुआ कि उसकी खातेदारी भूमि में उसका नाम मोतीलाल के स्थान पर मोतीराम दर्ज है जबकि मोतीलाल दर्ज होना चाहिए था। इसलिये वादी उक्त पैरा संख्या 1 व 2 में वर्णित अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में मोतीराम पुत्र श्री रामकरण के स्थान पर मोतीलाल पुत्र श्री रामकरण दर्ज करवाकर अपनी खातेदारी भूमि में मोतीलाल नाम दर्ज करवाने हेतु यह वाद रेकर्ड दुरूस्ती का पेश कर रहा है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में मोतीराम पुत्र श्री रामकरण नाम दर्ज है जबकि वादग्रस्त भूमि में कभी भी मोतीराम पुत्र श्री रामकरण नाम के व्यक्ति का कोई कब्जा, काश्त नही रहा है और न ही इस वल्दियत का कोई व्यक्ति इस गांव में है। राजस्व विभाग के कर्मचारीयों की भूल व लापरवाही से वादी का नाम मोतीलाल के स्थान मोतीराम नाम दर्ज कर दिया। इसलिये वादी उक्त भूमि में अपना नाम मोतीराम के स्थान मोतीलाल घोषित करवाने का अधिकारी है। उक्त आराजीयान की भूमि में वादी का नाम मोतीराम पुत्र श्री रामकरण के स्थान पर मोतीलाल पुत्र श्री रामकरण दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्ती हेतु वाद पेश है। यदि उक्त आराजीयान की भूमि में वादी का नाम मोतीराम पुत्र श्री रामकरण के स्थान पर मोतीलाल पुत्र श्री रामकरण दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है तो इसमें प्रतिवादीगण या अन्य किसी को कोई क्षति नही होगी बल्कि राजस्व रेकर्ड दुरूस्त होगा। जिससे यह वाद रेकर्ड दुरूस्त हेतु पेश है। वादग्रस्त भूमि में आज दिन तक वादी मोतीलाल का कब्जा, काश्त होने से एवं पजेशन के आधार पर स्वतः ही खातेदार होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ़ मामला वादी के पक्ष में बनता है यदि प्रतिवादी अथवा

उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (राज.)

Scanned by CamScanner

उनके अधीनस्थ कर्मचारी ने वादी को बेदखल कर दिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति रूपयों पैसो में नही की जा सकेगी। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में बनता है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 11 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. प्रार्थी ने अपने पक्ष समर्थन में, मौजा हिरणखुरी की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 103, मौजा बासनी कच्छावा की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 142, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जिस पर तहसीलदार(भू.अ.) मेड़ता ने पटवारी हल्का खाखड़की एवं आई.एल.आर. बड़गांव की मूल मौका रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1745 दिनांक 09.12.2019 अभिशंषा के साथ मय रेकर्ड एवं ग्राम पंचायत खाखड़की का प्रमाण पत्र दिनांक 20.11.2019 भिजवायी है, जिसमें लिखा है कि उक्त प्रकरण की जांच पटवारी हल्का व भू.अ.नि. बड़गांव द्वारा करवायी गई, जांच रिपोर्ट के अनुसार मौजा हिरणखुरी के खसरा नम्बर 182 रकबा 1.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 2.16 हैक्टेयर मोतीराम पुत्र श्री रामकरण दर्ज है तथा मौजा बासनी कच्छावा के खसरा नम्बर 107, 108, 109, 110, 111/476 में मोतीराम पुत्र श्री रामकरण दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, परिचय पत्र में नाम मोतीलाल पुत्र श्री रामकरण दर्ज है। मोतीराम व मोतीलाल दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः मोतीराम के स्थान पर मोतीलाल किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

4. विद्वान वकील वादी की बहस सुनी गई। जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि वादी का बोलत्ता नाम मोतीराम होने से जमाबंदी में नाम मोतीराम लिख दिया गया जबकि वास्तविक नाम मोतीलाल है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मेड़ता एवं ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र से होती है। अतः तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रेकर्ड में दुरूस्ती किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1745 दिनांक 09.12.2019 के आधार पर वादी का वाद प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

6. तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1745 दिनांक 09.12.2019 के आधार पर मौजा हिरणखुरी के खसरा नम्बर 182 रकबा 1.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 376 रक़बा 2.16 हैक्टेयर मोतीराम पुत्र श्री रामकरण दर्ज है तथा मौजा बासनी कच्छावा के खसरा नम्बर 107, 108, 109, 110, 111/476 में मोतीराम पुत्र श्री रामकरण दर्ज है। मोतीराम व मोतीलाल दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः मोतीराम के स्थान पर मोतीलाल किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1745 दिनांक 09.12.2019 निर्णय का भाग होगी।

7. डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो, भूमि रहन नही हो तथा रकबा में कोई परिवर्तन नही तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(के.आर. चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2020.02.04 13:02:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: